


## XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1358-4/15

जिला-शेखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-1-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 ( एम.के.सिंह ) सदस्य

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

२२-२०. विविध प्रकरण क्रमांक :

/2015

क्र. 1359-II-15

शाधु पुत्र विप्राभुक्केवर  
सिकारी ग्रामकेवी पचकठा  
तहसील चोंवर जिला शिवा (म.प्र.)  
— आवेदक

विरुद्ध  
(1) शंलोषसुमार पुत्र शंभदाभुक्केवर  
(2) सुभ. सुभकारिमा बेगम शंभदाभुक्केवर  
मिवालिगण ग्राम गुश्गुदा तहसील  
चोंवर जिला शिवा (म.प्र.)  
— अनावेदक

दिनांक 3-6-15

राजस्व मण्डल म.प्र.

म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 9 के अन्तर्गत  
निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- 1 यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक R-623/02 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 27/3/15 को नियत था।
- 2 यह कि, नियत दिनांक 27/3/15 को आवेदक के अधिवक्ता/अभिभाषक संघ के निर्णय अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था। इस कारण आवेदक नियत दिनांक को 27/3/15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसकी जानकारी अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी। जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत है।
- 3 यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई क्री जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा।

अतएव उपर्युक्तानुसार निवेदन है कि, आवेदन स्वीकार कर प्रकरण क्रमांक R-623/02 पुनः स्थापित कर गुणा-गुण पर सुनवाई किये जाने का आदेश प्रदान किया जाए।

s-ld

दिनांक 02-06-2015

स्थान-ग्वालियर

प्रार्थी  
शाधु - आवेदक  
(द्वारा अभिभाषक)  
आर. डी. शर्मा  
02/06/15

